मुकदमा नम्बर 54/2023
अनवानः– नरसींगाराम वनाम गेना
निर्णय तारीख 20.08.2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 54/2023

जीसीएमएस नम्बर 2023/141

अनवान

1. नरसींगाराम पुत्र दजाराम जाति कलबी निवासी धानता, तहसील सांचोर, जिला–जालोर।

वादी.........

1. गेना पुत्र राजा जाति कलबी निवासी धानता तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. भूमिधारी तहसीलदार–सांचौर, जिला–जालोर।

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 20.08.2025

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 28.07.2025 सरहद मौजा धानता पटवार हल्का अरणाय तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 334/1287 रकबा 4.86 हैक्टर में वादी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श अ के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाड़ा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2025/321 दिनांक 29.07.2025 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भू.अ./2025/3369 दिनांक 07.08.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया, जिन्होंने किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार सांचौर के प्रस्ताव अनुसार भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

मुकदमा नम्बर 54/2023
अनवानः– नरसींगाराम बनाम गेना
निर्णय तारीख 20.08.2025

क्र. स	खातेदार का नाम	खसर नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	गेना पुत्र राजा साकिन देह खातेदार	334/1287	4.86	1.00	चाही सोयम	केसरिया	10.00
				1.75	जाव सोयम		5.25
				2.75			15.25
2.	नरसींगाराम पुत्र दजाराम जाति कलबी साकिन देह खातेदार	334/1287	4.86	1.00	चाही सोयम	पीला	10.00
				1.11	जाव सोयम		3.33
				2.11			13.33

3. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रमोदकुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
सहायक कलेक्टर सांचौर

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर 54 / 2023
अनवानः— नरसींगाराम बनाम गेना
निर्णय तारीख 20.08.2025

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

अनवान

1. नरसींगाराम पुत्र दजाराम जाति कलबी निवासी धानता, तहसील सांचोर, जिला–जालोर।

वादी........

1. गेना पुत्र राजा जाति कलबी निवासी धानता तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. भूमिधारी तहसीलदार–सांचौर, जिला–जालोर।

प्रतिवादीगण......

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 54 / 2023

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालौत, श्री चेतन पुरोहित, श्री सुरेश पुरोहित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसर नम्बर	रकबा हैक्ट0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	गेना पुत्र राजा साकिन देह खातेदार	334 / 1287	4.86	1.00	चाही सोयम	केसरिया	10.00
				1.75	जाव सोयम		5.25
				2.75			15.25
2.	नरसींगाराम पुत्र दजाराम जाति कलबी साकिन देह खातेदार	334 / 1287	4.86	1.00	चाही सोयम	पीला	10.00
				1.11	जाव सोयम		3.33
				2.11			13.33

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक–पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर 54 / 2023
अनवानः– नरसींगाराम बनाम गेना
निर्णय तारीख 20.08.2025

न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20.08.2025 को जारी की गई

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	2	00

सहायक कलेक्टर, सांचौर
सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested